

211
1.22

ग वगैर.

- :: आदेश :: -

अतः वाद वादीगण का अधिन धार 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाना डिक्री किया जाता है कि-

1. वादी महावीर के हक बंट में मौजा छावटा कलां के खसरा नम्बर 438/292 रकबा 0.6799 हैक्टेयर पूरा खेत व मौजा छावटा खुर्द के खेत खसरा नम्बर 435 रकबा 2.2339 हैक्टेयर में से 0.2319 हैक्टेयर दक्षिणी भाग खातेदारी में घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 2 भंवरलाल के हक बंट में मौजा छावटा खुर्द के खेत खसरा नम्बर 328 रकबा 1.9101 हैक्टेयर में से रकबा 0.9550 हैक्टेयर पश्चिमी भाग, खेत खसरा नम्बर 407/444 रकबा 1.0117 हैक्टेयर में से रकबा 0.1863 हैक्टेयर पूर्वी भाग खसरा नम्बर 408 रकबा 1.4811 हैक्टेयर में से रकबा 0.3237 हैक्टेयर पूर्वी भाग खातेदारी में घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी संख्या 3 पुखराज के हक बंट में मौजा छावटा खुर्द के खेत खसरा नम्बर 435 रकबा 2.239 हैक्टेयर में से रकबा 0.9713 हैक्टेयर उत्तरी भाग घोषित किया जाता है।
4. प्रतिवादी संख्या 4 जगदीश के हक बंट में मौजा छावटा खुर्द खेत खसरा नम्बर 328 रकबा 1.9101 हैक्टेयर में से रकबा 0.9551 हैक्टेयर पूर्वी भाग खेत खसरा नम्बर 407/444 रकबा 1.0117 हैक्टेयर में से रकबा 0.1780 हैक्टेयर मध्य भाग, खसरा नम्बर 408 रकबा 1.4811 हैक्टेयर में से रकबा 0.3237 हैक्टेयर मध्य भाग खातेदारी में घोषित किया जाता है।
5. प्रतिवादी संख्या 5 सागरमल के हक बंट में मौजा छावटा खर्द के खेत खसरा नम्बर 435 रकबा 2.2339 हैक्टेयर में से रकबा 0.9713 हैक्टेयर उत्तरी भाग खातेदारी में घोषित किया जाता है।
6. प्रतिवादी संख्या 7 गणपत के हक बंट में मौजा छावटा खुर्द खेत खसरा नम्बर 407/444 रकबा 1.0117 हैक्टेयर में से रकबा 0.6474 हैक्टेयर पश्चिमी भाग, खसरा नम्बर 408 रकबा 1.4811 हैक्टेयर में से रकबा 0.8337 हैक्टेयर पश्चिमी भाग खातेदारी में घोषित किया जाता है।

अमलद्वारा
देवा

59 E

30/11/22

देवा

जाय

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

जायल

को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा

निर्णय आज दिनांक 30/11/2022

जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

जायल